एस० टी० डी० का कनेक्शन नहीं है और इनके मंत्रालय के लोगों ने भी लिख कर किया है कि एस०टी०डी० सुविधा नहीं दी जाती है और टेलीफोन वाले ने भी लिख कर दिया है कि हमको एस०टी०डी० नहीं चाहिए, दोनों कागज जिस टेलीफोन पर मौजूद हैं, उस पर 5,48,056 रुपए का बिल आया है। श्री आर० एस० आदिल हैं, एक एडवोकेट हैं, यमुना पार में रहते हैं, उन्होंने मुझको. . .

श्री सभापति : डायरेक्ट डायलिंग इन्होंने कैसे कर लिया ? डायरेक्ट डायलिंग का बिल था ? डायरेक्ट डायलिंग टू फॉरेन कंट्रीज़ का बिल था ?

श्री राम अवधेश सिंह : नहीं, कुछ है नहीं।

श्री सभापति : सवाल तो डायरेक्ट डायलिंग का हो रहा है, बिल का सवाल नहीं है। प्लीज़। Please be kind enough to the House. सदन पर कृपा कीजिए, सदन के और सदस्यों पर कृपा कीजिए। समय बहुत मूल्यवान है।

श्री अवधेश सिंह : मैं यह कह रहा हूं. . .

श्री सभापति : क्वेश्चन नम्बर 202। सब ठीक है, बैठ जाइए।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं यह कह रहा हूं कि देशी लोग. . .

श्री सभापति : देशी-विदेशी का सवाल नहीं है। आप विराजिए, आपका कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा। Please take your seat Anything he says will not go on record Question No. 202.

Rural Assignment to Officers in the State Bank of Indore

*202. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that officers after their promotion are required to be posted in rural branches under the Rural Assignment Policy ;

(b) if so, whether this policy is being followed by the branches in Delhi of the State Bank of Indore ;

(c) what is the number of officers who have been promoted but have not undergone rural assignment till date ; and

(d) what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per guidelines issued by the Government in exercise of powers contained in the Officers Service Regulations of the bank, with effect from 1st June, 1988 a minimum service of 2 years in the rural branch and 3 years in the rural/semi-urban branch is essential for the officers in JMG Scale-I and MMG Scale-II to become eligible for promotion to MMG Scale-II and MMG Scale-III, respectively. However, considering the difficulties faced by the banks in providing to their officers rural/semi-urban branches experience, various banks have been advised, on request, to consider for promotion such of the officers who could not complete the requisite rural/semi-urban assignments but were otherwise eligible for promotion subject to the condition that on promotion they will be posted to rural/semi-urban branches to acquire such experience.

(b) to (d) State Bank of Indore has reported that it is following this policy in respect of its officers posted in its branches

located in Delhi. However, six of its officers, presently posted in Delhi and promoted to MMG Scale-II (One with effect from 1-8-89 and five with effect from 1-8-90, have not so far completed their rural/ semi-urban assignments. The Bank has already issued transfer orders to rural branches in respect of two of the above officers and the remaining four are proposed to be posted to such branches after they complete their present assignments at Delhi.

राम अवधेश सिंह : *

श्री सभापति : अब मैं 202 नम्बर क्वेश्चन पर हूं, आपकी कोई बात आने वाली नहीं है रिकार्ड पर । अब आप सिर्फ डिस्टर्ब करेंगे और कुछ नहीं है । आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : *

श्री सभापति : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । समय बर्बाद मत कीजिए ।

Please take your seat.

श्री राम अवधेश सिंह : *

श्री सभापति : आपका सवाल नहीं है, आपका सवाल खत्म हो गया है । आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्रीमती कमला सिन्हा : सर, मंत्री जी का जो जवाब है, यह बिल्कुल संतोषजनक नहीं है । मैं इसलिये कह रही हूं कि संतोषजनक नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने जवाब के प्रथम खंड में तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की जो नौकरी की आचार-संहिता है, उसके संबंध में इन्होंने कहा है कि सेवा विनियमों में निहित शक्तियों के द्वारा सरकार क्या-क्या करती है, उसके संबंध में इन्होंने कहा है कि 1 जून 1988 को इन्होंने एक आदेश पारित किया कि दो साल के लिये रूरल ब्रांच में और तीन साल के लिये रूरल/सेमी अरबन ब्रांच में आफिसर की ट्रेनिंग होनी चाहिये जो कि जे० एम० जी० स्केल–1 और एम० एम० जी० स्केल-2 में रहते हैं और इसके लिये II और III वालों को भी आवश्यकता है और बी, सी, डी में तो इन्होंने इन्दौर के बारे में जवाब देते हुए कहा कि 6 आफिसर ऐसे थे जिनको प्रमोशन भी दी गई और प्रमोशन रूरल/सेमी रुरल एसाइनमेंट कम्पलीट नहीं करने के बावजूद दिया गया था । अब सरकार ने इसके संबंध में आदेश निर्गत किये हैं कि इनका ट्रांसफर हो जाये । लेकिन कहां ट्रांसफर करेंगे और रूरल ब्रांच में इनकी कहां ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, इसके बारे में सरकार ने स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है । तो मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश क्यों नहीं दिया और इस तरह से बिना रूरल एण्ड सेमी-रूरल, सेमी अरबन ब्रांचेज में बिना ट्रेनिंग किए जिन लोगों को प्रमोशन दिया है, तो क्या यह नीति बाकी जगहों में अन्य अफसरों के लिये भी सरकार लागू करेगी ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य का मूल प्रश्न स्टेट बैंक आफ इन्दौर से है और इसमें यह पूछा गया है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर की दिल्ली स्थित शाखाओं में कितने अधिकारियों का ग्रामीण शाखाओं में ट्रेनिंग लेना अपेक्षित है । छः अधिकारी ऐसे हैं जिनको स्केल-1 से स्केल-2 में प्रमोशन किया गया है । दो को ग्रामीण शाखाओं में हमने भेजा है । एक का आदेश फरवरी में हो गया है और एक का आदेश मार्च में हो गया है । माननीय सदस्या को मैं बताना चाहूंगा कि यह हैं––पंकज मालवीय जिनकी पोस्टिंग नारखेड़ा में की है और दूसरे हैं––

*Not recorded.

ए०के० तनुवर्द्धन । इनकी पोस्टिंग कुंभराज में ग्रामीण शाखा में की गई है और जो बाकी चार हैं, उनका जैसे ही तीन साल का टेन्योर खत्म हो जाता है तो उनको भी हम ग्रामीण शाखा में भेजेंगे । कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिनका प्रमोशन ड्यू हो जाता है और हमारी ग्रामीण शाखाओं में जगह नहीं रहती है और यदि हम उनको प्रमोशन देते हैं तो प्रमोशन के बाद भी उनको ग्रामीण शाखाओं में दो साल या तीन साल काम करना पड़ेगा । यदि वह उसमें नहीं जाता है तो उनको हम रिवर्ट कर देते हैं । यह प्राय: सभी बैंकों में है और 1-6-88 से लागू किया गया है, क्योंकि बहुत से अधिकारी ग्रामीण बैंकों में जाने में हिचकिचाते थे । इसलिए अब ग्रामीण बैंकों में जाना आवश्यक होगा और जब तक आप ग्रामीण बैंकों में सेवा नहीं करेंगे तब तक आपकी पदोन्नति नहीं की जाएगी । तो सभी बैंकों में यह नियम लागू है ।

श्रीमती कमला सिन्हा : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि श्री राजकुमार राय, एम०पी० ने भी अपने अतारांकित प्रश्न संख्या-1147 दिनांक 13-11-87 द्वारा भी इसी संबंध में प्रश्न पूछा था और आज जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वही जवाब उस समय भी दिया था । उसके बाद राम नरेश यादव ने भी अतारांकित प्रश्न संख्या-1291 दिनांक 3-9-91 के द्वारा भी यह सवाल पूछा था । बिल्कुल यही जवाब आपने उनको भी दिया था । उसके बाद उन्होंने वर्तमान वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा था परन्तु कुछ हुआ नहीं ।

अब मेरे प्रश्न के जवाब में भी सरकार बिल्कुल वही उत्तर दे रही है, जो पूर्व सदस्यों को दिया था ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : अगले सवाल का जवाब भी यही होगा । . . . (**व्यवधान**) . . . अगले सेशन में भी यही जवाब देंगे . . . (**व्यवधान**) . . .

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: اگلے سوال کا جواب بھی یہی ہوگا۔۔۔ "مداخلت" اگلے سیشن میں بھی یہی جواب دیں گے۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔

श्रीमती कमला सिन्हा : मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार किसकी रक्षा करना चाहती है, किसको प्रोटेक्ट करना चाहती है या कोई सरकार के खास आदमियों में से है ? कौन लोग हैं यह ? दो-दो माननीय सदस्यों ने लोक सभा और राज्य सभा में सवाल पूछा और वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा । पत्र के जवाब में भी कहा गया कि हम तुरन्त एक्शन लेंगे और और अब मैंने भी सवाल पूछा । मेरे सवाल का जवाब भी बिल्कुल वही है जो इन माननीय सदस्यों को दिया गया था । तो मैं यह जानना चाहती हूं कि इसका अनुपालन कब तक होगा या फिर अगले सत्र में सवाल पूछना पड़ेगा ? यह कौन व्यक्ति हैं जिनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं ? यह कौन लोग हैं ?

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : नहीं-नहीं, यह तब भी यही जवाब देंगे ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: نہیں نہیں یہ جب بھی یہی جواب دیں گے۔

श्री दलबीर सिंह : यदि माननीय सदस्या किसी पर्टिक्युलर आफिसर की बात करती

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

हैं तो वे कृपया यहां पर बतायें । अगर उसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो हम उसमें प्रोपर एक्शन लेंगे । माननीय सदस्या ने खुद ही कहा है कि पिछली बार भी मेरी रिप्लाई में कोई डुप्लीकेशन नहीं हुआ है ।

श्री सभापति : यह कह रही हैं कि किसी को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं ? . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ **मीम अफजल** : उन्होंने किसी पर्टिकुलर आफिसर की बात नहीं की है । इसका आपको जवाब देना चाहिए । पर्टिकुलर आफिसर से क्या मतलब है ?

[†] شری محمد افضل عرف م۔ افضل : انھوں نے کسی پارٹیکلر آفیسر کی بات نہیں کی ہے۔ اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے۔ پارٹیکلر آفیسر سے کیا مطلب ہے۔

श्री सभापति : उनका प्रश्न यह है कि क्या आप किसी खास व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं । आप कह दीजिए नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं ।

श्री दलबीर सिंह : हमारे मंत्रालय में किसी के लिये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और न हम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ।

SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Mr. Chairman, Sir, in his reply, the hon. Minister has stated that various banks have been advised. I would like to know from the hon. Minister whether the banking division of his Ministry has got an advisory role or a proprietary role and a mandatory role. Secondly, what are the specific proposals in the Narasimham Committee report about the structure of the rural banks and regulations about posting of the officers in rural branches ? Is he going to accept that proposal or not ?

श्री दलबीर सिंह : सर इस प्रश्न से नरसिंहम कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं है और उसके अलावा भी ऐसा कुछ नहीं है । इसलिए कम्पलसरी, मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है . . . **व्यवधान**

श्री रजनी रंजन साहू : आपका ऐडवाईज़री रोल है ?

श्री दलबीर सिंह : मैंने कहा है कि 20 जो नेशनेलाईज्ड हमारे बैंक्स हैं, ऐसोसिएटिड जो हमारे 8 बैंक्स हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में उनको काम करना ही पड़ेगा तभी जाकर आगे उनको पदोन्नति मिलेगी ।

श्री रजनी रंजन साहू : आपने ऐडवाईज़री रोल क्यों नहीं कहा ? आप कहते कि मैनडेटरी रोल है, हमारा निर्देश है ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY : Sir, the Government has accepted the recommendations of the National Industrial Tribunal Award regarding the streamlining of the rural banking sector and the executive order was passed on 22nd February, 1991. But the award has not been implemented so far. What are the reasons for not implementing the award and when will the Government implement the award ?

SHRI DALBIR SINGH : It is under consideration. अभी तो इसमें कोई चर्चा भी नहीं हुई ।

SHRI V. NARAYANASAMY : Mr. Chairman, Sir, the hon. Member has specifically asked a question about the role of the authorities on Rural Assignment Policy

[†] Transliteration in Arabic Script.

relating to transfers and postings. But the hon. Minister, in his reply, has said that those officers who have not completed their rural postings can be promoted but then they will be sent to the rural branches. If you go through the entire banking history, more than 65% of the officers have managed to remain in the urban areas and the persons who are working in the rural areas continue to work there. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government will not exempt, for the purpose of promotion, any officer who has not completed his rural posting. Will they bring an amendment saying that an officer will not be promoted unless and until he completes three years in the rural areas ?

श्री दलबीर सिंह : सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि रूरल एरियाज में इतनी ब्रांचेज भी नहीं हैं और साईमलटेनियसली किसी अफसर का यदि उस डेट में ड्यू हो जाता है प्रमोशन के लिए तो उसके साथ भी इनजस्टिस होता है। इसलिए प्रशासनिक कठिनाई को देखते हुए हम उसको प्रमोशन देते हैं लेकिन यह कंपलसरी है कि वह प्रमोशन के बाद वहां जाएगा ही। ऐसा नहीं है कि हम वहां ब्लक में भेज दें। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न में कहा कि जो ऐसे 6 अधिकारी हैं उसमें से दो को हमने भेजा है। बाकी चार का जैसे ही टेन्योर और ड्यू हो जाता है, उनको हम भेजेंगे।

SHRI V. NARAYANASAMY : They don't go to the rural areas.

MR. CHAIRMAN : He will see that they go there.

SHRI V. NARAYANASAMY : The hon. Chairman is saying it and not the Minister. Let the Minister say that it will be strictly implemented.

SHRI DALBIR SINGH : Strictly we are following the rules.

श्री राघव जी : माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कहा है कि जिन 6 लोगों व पदोन्नति हुई है उनमें से 2 लोगो की ग्रामी तैनाती कर दी गई है। मैं यह जानना चाहत हूं कि जिन 2 लोगों की ग्रामीण तैनाती की ग है वह कब की गई है और क्या वह ग्रामी स्थान पर पहुंच गए हैं और इन्होंने आगे कहा है कि जिन चार अधिकारियों को ऐस तैनाती पर भेजने का प्रस्ताव है, जब दिल्ली में अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे त क्या दिल्ली में भी कार्यकाल की अवधि हुआ करती है ? एक बार पदोन्नति हो ग इसका मतलब दिल्ली के कार्यकाल व अवधि समाप्त हो गई और उनको पदोन्नति के स्थान पर जाना चाहिए। तो वह क्य नहीं गए, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री दलबीर सिंह : इसमें जितने प्रश्न हुए, ऐसा है कि उनको समझना चाहिए कि हमारे पास जगह भी नहीं है। अब स्टे बैंक ऑफ इंदौर जो है, उसकी शाखाओं क कमी है, इसलिए हम उनको नहीं भेज प रहे हैं। इसमें से 2 को हमने भेजा है इसके बाद जैसे इनके 3 साल में टेन्यो कम्प्लीट हो जाएंगे, उनको भी हम भेज देंगे... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : ये पूछ रहे हैं कि ये 2 गए भी कि नहीं गए ? जिनकी आपने नियुक्ति की है वह गए हैं कि नहीं गए ?

श्री दलबीर सिंह : ऑर्डर हमने इशू कर दिया है।

श्री सभापति : आर्डर आपके ओबे हुए, यह पूछ रहे हैं ?

श्री दलबीर सिंह : निश्चित, हो गए होंगे।

श्री सभापति : अगर न हुए हों तो बता दीजिएगा।

श्री बलबीर सिंह : सदस्य महोदय को इसकी जानकारी मैं पहुंचा दूंगा ।

श्री सभापति : अगर नहीं हुए तो देखिएगा . . . **(व्यवधान)**

श्री राघव जी : किस तारीख को आर्डर हुए, वह पहुंचे कि नहीं पहुंचे . . . **(व्यवधान)**

श्री सभापति : यह तो बता दिया इन्होंने । क्वश्चिन 203 ।

श्री राम नरेश यादव : सभापति जी इसमें मेरा नाम आया था, इसलिए मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपकी अनुमति से ।

श्री सभापति : क्या हुआ ?

श्री राम नरेश यादव : इसमें मेरा भी नाम आया था इससे पहले सवाल में . . . **(व्यवधान)**

श्री सभापति : नहीं, मैं तो 203 पर चला गया और आप इस सप्ताह में पूछ चुके हैं ।

श्री राम नरेश यादव : नहीं-नहीं, मैं केवल नाम आया था . . . **(व्यवधान)**

श्री सभापति : बराबर मेरी नजर सब जगह जाती है और मैंने आपको बता दिया, आपको मैं समझा चुका हूं पहले भी कि जब ये टी०वी० होता है तब एक सदस्य को एक बार ही मौका देता हूं क्योंकि सब लोगों की यह मांग रहती है कि सब दिखें . . **(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : अगर चला जाए तो न पूछने वालों के लिए राहत हो जाएगी . . . **(व्यवधान)**

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : इसके लिए आपको धन्यवाद ।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA : Our questions are more important and not the TV .... (*Interruptions*) ....

श्री सभापति : मेंबर्स की राय भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोग ही पूरे समय को ले लें तो दूसरों को उस पर आपत्ति होना स्वाभाविक है । मेरा प्रयास यह है कि सब सदस्यों को ताकि लोगों तक वह पहुंच सकें । अगर मेरे से गलती हो जाएगी तो मैं फौरन अपनी गलती मान लूंगा . . . **(व्यवधान)**

Flouting of Norms in Respect of Foreign Exchange by the Banks

*203. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a newsitem captioned "Banks cheating NRIs on dual exchange rate" as reported in the Indian Express of the 23rd April, 1992 ;

(b) if so, what are the details thereof ;

(c) whether it is a fact that the banks are flouting the norms in respect of exchange rate to NRIs, and

(d) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The newsitem referred to three specific cases where remittances made by NRIs from abroad. After the introduction of Liberalised Exchange Rate Management System, were converted at 'Official' rate by the Oriental Bank of Commerce, Bombay, Bank of India, Main Branch, Bombay and United Commercial Bank, Nariman Point, Bombay while crediting the Non-resident (External) Rupee Accounts. Based on the newsitem, Reserve Bank of India called for a report from the concerned banks. The UCO Bank and the Bank of India have denied receipt of the remittances referred